other Members who have introduced Private Member's Bills can also have an opportunity for their Bills to be discussed.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: We never used to disucss what happened in the Chairman's Chamber but today it is a subject of discussion. Therefore, I have to brief you on what had happended in the morning. In the morning, we discussed with the Chairman on how to dispose of this issue. The Chairman informed us that the General Purposes Committee would be convened on the coming 9th and there, we can discuss this issue and come to a conclusion. Till such time...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): You are quite correct that whatever is discussed in the Chairman's Chamber is not referred to. I find that there is already a ruling as far back as in May, 1997 which is published in the Parliamentary Bulletin on 2nd May, 1997. The maximum time-limit for the discussion of a Private Member's Bill, or, a Resolution shall be two hours and it shall come into effect immediately. The direction is at serial number four. I have read out this with regard to Private Members' Bills and Resolution. In this case, have taken two hours and thrity two minutes.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: This Bill is what is already listed. The Chairman has given his opinion that this will be taken into consideration on the coming 9th in the General Purposes Committee.

SHRI R. MARGABANDU: Already, a decision has been taken in the previous Session. (*Interruptions*). You are depriving the opportunities to others.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: I am not denying what the hon. Member has observed, but this is the latest development. Today, morning, after the Private Member's Bills have been listed, the discussion has taken place in the Chamber of the Chairman in which it was decided that on the 9th it will be constituted. The Chairman has decided to discuss the issue on the coming 9th. This being so, I do not think it is proper to decide before that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): Again, I have to repeat that the discussion in the Chamber of the Chairman should not be referred to here. You said so. We find the Chairman's ruling already existing in this regard.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: We will do according to what is decided in the General Purposes Committee. But, before that, we should not interevene. I think, it would not be fair... (*Interruptions*)... It will amount to deprivation of our rights. ...(*Interruptions*) It is listed in the Business...(*Interruptions*)...

SHRI R. MARGABANDU: Sir, it has already been discussed for four hours. ...(*Interruptions*)... It has already been discussed for more than two hours...(*Interruptions*)...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: If you take any decision before listing it in the List of Business, it is a different thing. But, after having been listed, in the List of Business, if you want to remove it, it would not be proper...(*Interruptions*;... I am not worrying about it....(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): The Bill has already been listed in the Member's name. Since the time has already been exceeded and the subject has been discussed for a fairly long time, my request to the Members would be not to take much time. Each Member can put forth his or her views within two mintues. Then, I think, we can proceed to the other business. Now, Smt. Chandra Kala Pandey. I think, you have not much to add to what you had said.

THE PREVENTION OF BARBAROUS AND BEASTLY CRUELTY AGAINST WOMEN BILL, 1995—CONTD.

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिमी बंगाल): उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं अपने वक्तव्य को एक बार पढ़कर आई हूं जिससे कि मैं उन चीज़ों को न दोहराऊं। इस बिल को लेकर विगत समय में चर्चा हो चुकी थी और मेरे बोलते-बोलते ही समय समाप्त हो गया था और मुझे कहा गया था कि आने वाले सत्र में फिर बोलूं। मैं अपनी कुछ थोड़ी सी बातें यहां रखने के बाद अपनी बात समाप्त कर दूंगी।

महोदय, मैं भारत के कुछ प्राचीन शास्त्रों से उद्धरण देते हुए विगत सत्र में यह बता रही थी कि कैसे यहां

बलात्कारियों के लिए विविध प्रकार की सजाएं निर्धारित थीं लेकिन वे सजाएं एक प्रकार की क्लास स्ट्राल से रिलेटेड सज़ाएं थीं।

उपसभाध्यक्ष (श्री टी॰एन॰ चतुर्वेदी): देखिए, आप 19 मिनट पिछली दफ बोल चुकी हैं। मेहरबानी करके उद्धरणों के विस्तार में न जाकर उनका केवल ज़िक्र कर दीजिए।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: केवल ज़िक्र कर रही हूं। आप पूरी बात सुन लीजिए पहले, ज़िक्र भर ही कर रही हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री टी॰एन॰ चतुर्वेदी): आप बहुत महत्वपूर्ण बातें कह रही हैं लेकिन मैंने दूसरे लोगों की सुविधा देखते हुए आपसे यह निवेदन किया है।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: यह चर्चा मैंने की थी और वहां उस युग में चारणों की पत्नी तथा रंगमंच पर नृत्यशालाओं में काम करने वाली जो महिलाएं थीं, उनके साथ किसी भी प्रकार का बलात्कार न जाने क्यों एलाउड था और यदि वे बलात्कृता होती थीं तो कहीं किसी प्रकार की उन्हें शिकायत करने की गुंजाइश नहीं होती थी। आज हमारे सामने एक ऐसी विडम्बना है कि एक और हम दूरदर्शन के परदे पर देखते है हम भारत की बेटी हैं ... (व्यवधान)...

श्री ओंकार सिंह लखावत (राजस्थान): आप क्या साइट कर रही हैं? माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय इतिहास को, उसकी संस्कृति को इस तरह से विकृत करके पेश करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। मुझे क्षमा कीजिएगा, हिंदुस्तान में कहीं पर बलात्कार अलाउड नहीं था। आप क्या साइट कर रहीं हैं? ...(व्यवधान)...

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: अभी जाकर आप पुस्तक देख लीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री ओंकार सिंह लखावत : क्षमा कीजिएगा आप मुझे, इस तरह से आप परिदृश्य खड़ा करने का प्रयास न करें। ...(व्यवधान)...

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: किसके बारे में कह रहे हैं आप? मैं केवल नृत्यशालाओं में काम करने वाली महिलाओं ...(व्यवधान)...

श्री ओंकार सिंह लखावत : प्रगतिशीलता के नाम पर, भगवान के नाम पर आप ऐसा दृश्य न खड़ा करें जिसमें भारतीयता के ऊपर लांछन आता हो। ...(व्यवधान)...

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय : मैं अपने मन से यह बात नहीं बोल रही हूं। ...(व्यवधान)...

श्री ओंकार सिंह लखावत : आप अपनी बात कहें, समझ में आ जाएगी पर अबला के साथ बलात्कार की अनुमति थी, यह कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है? कौन सी पुस्तकें में लिखा हुआ है?...(व्यवधान)...

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय : मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको दिखा सकती हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री टी॰एन॰ चतुर्वेदी) : अगर आपके पास कोई...(व्यवधान)...जब आप यहां पर नहीं लाई है तो ऐसी बात मत कहिए जिससे कि इस मामले में कोई कंट्रोवर्सी शुरू हो।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय : मैं लाइब्रेरी से क्वोट करके लाई हूं, पुस्तक अभी भी मेरे पास है, मैं पुस्तक दिखा सकती हूं और यह केवल नृत्यशालाओं में काम करने वाली स्त्रिओं के लिए है।

उपसभाध्यक्ष (श्री टी॰ एन॰ चतुर्वेदी) : आप आगे कहिए। आप समाप्त करिए।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय : आज दूरदर्शन के परदे पर एक ओर जहां यह दिखाया जा रहा है विविध रूपों में बेटी इस देश की शोभा है और स्त्रियां किस रूप में उन्नति कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहां मादा भ्रूण की हत्या सबसे अधिक हो रही है और सन् 1901 में भारत के पुरूष-महिला का अनुपात जहां 1000 की तुलना में 972 था, वहीं 1991 में यह 1000 की तुलना में 927 हो गया और 1997 में यह अनुपात घटकर 1000 की तुलना में 923 रह गया है और यह पुरूष और महिला का बिगड़ता हुआ आनुपातिक असंतुलन बहुत ही दुखदायी है। हमें इस पर भी ध्यान देना होगा। हम यह देखते हैं कि आजादी के पचासवें वर्ष में भारत की स्त्रियों की हालत में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। अनेक प्रकार के आंदोलन, अनेक प्रकार के कानून, संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद उसकी स्थिति दयनीय है। दिल्ली जैसे पढ़े-लिखे और तथाकथित सभ्य समाज में जब तन्दूर जैसी घटनाएं होती हैं तो सिर शर्म से झुक जाता है। आज ही सुबह हम लोगों ने एक अखबार की घटना को लेकर काफी चर्चा भी की है। इस देश में जहां आज भी महिलाएं नीलाम हो रही हैं और उसे प्रॉस्टीट्यूशन के लिए बाध्य किया जा रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है? यह हमारे लिए बड़ा ही शर्मनाक है, एक समाचार राजस्थान के एक गांव के बारे में राजस्थान पत्रिका में आया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री टी॰ एन॰ चतुर्वेदी) : यह तो आप बता चुकी है, उसी वजह से तो यह बिल आया है। मिस सरोज खापर्डे उसी वजह से यह बिल लायी हैं।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय : सर, मैंने पहले नहीं बताया है। यह भी हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया है कि किसी प्रकार की महिलाओं के साथ यदि सामान्य छेड़छाड़ भी हो तो उसे दंड मान लेना चाहिए। पिछले करीब ढाई दशकों में सामाजिक तौर पर लगातार महिलाएं असुरक्षित हुई हैं, इसका भी सबूत हम देख रहे हैं, यह विविध रूपों में दिखाई पड़ रहा है, पर कोई भी सरकार आयी हो, वह अखबारी विज्ञापनों में महिला प्रगति और उत्थान में अपनी उपलब्धियों के आंकड़े गिनाती रही है। और एक तरफ कानून की रक्षा करने वाले जो लोग हैं, वे चुपचाप बैठे रहे हैं। अपराध और अत्याचार का सिलसिला चलता और बढ़ता रहा है। इस संदर्भ में मैं संयुक्त राष्ट्र की एक टिप्पणी का उल्लेख करना चाहूंगी जिसमें यह लिखा हुआ है कि "विश्व में इस समय सबसे बड़ा वैकल्पिक खतरा महिलाओं को बना हुआ है। पालने से लेकर कब्र तक वैयक्तिक असुरक्षा की काली परछाइयां उनका पीछा करती हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उनका केवल इसलिए शोषण किया जाता है क्योंकि वह स्त्री है।" अब मैं सरोज खापर्डे जी के इस विषय पर आना चाहती हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री टी॰ एन॰ चतुर्वेदी) : आप इसका समर्थन कर रही हैं न...(**व्यवधान**)... आपने सबसे ज्यादा समय ले लिया है। जो मेरे पास विवरण है, उसके अनुसार सबसे ज्यादा आप बोली हैं।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय : सर, मैं बहुत अधिक कठिन दंड का समर्थन करती हूं लेकिन फांसी या मृत्यु दंड के लिए हमारे देश में अनेक महिला संगठन हैं, उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद यह निर्धारित किया जाए क्योंकि इधर एक नयी चीज देखने को मिली है कि रेप का राजनीतिकरण हो रहा है। चुनाव के सिलसिले में, पंचायत चुनाव के सिलसिले में ऐसा देखा गया है। यह घटना भी सच है। अभी मेरे भाई यह कहेंगे कि आप कहां से ला रही हैं तो मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि अखबारों में यह खबर निकली थी, सब लोग जानते भी है। एक महिला ने...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री टी॰ एन॰ चतुर्वेदी) : आप यह मत कहिए क्योंकि इतना समय नहीं है। अभी बहुत से लोग बाकी हैं इसलिए आप केवल समर्थन कर दीजिए ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय : सर, मैं समाप्त कर रही हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री टी॰ एन॰ चतुर्वेदी) : आप बीस मिनट पहले ले चुकी हैं और आज भी आठ मिनट से ज्यादा हो गये है।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय : तो जैसा महिला ने दावा किया था कि उसका रेप हो गया है और यह मांग की गयी कि जो अपराधी पकड़े गये, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। बाद में पता चला कि वह दो दलों की आपसी कहासुनी और झगड़े के कारण हुआ था और महिला पर रेप हुआ ही नहीं था। अगर उन अपराधियों को सजा दे दी जाती या वह फांसी पर झूल गये होते तो क्या होता? इसलिए यह सोचने की जरूरत है, यह बहुत ही गंभीरता का विषय है कि उसे क्या दंड देना चाहिए? लेकिन अभी जो ऐक्सिस्टिंग दंड हैं, उनको देने पर भी काफी कुछ उन्हें सख्ती का सामना कराया जा सकता है। मैं सरोज जी के बिल का समर्थन तो जरूर करना चाहूंगी। इसलिए कि जब भी किसी महिला का रेप होता है तो किसी भी नागरिक का मन–सांसद और विधायकों की तो बात छोड़िए–शर्म से झुक जाता है, आक्रोश होता है, घृणा और क्रुत्सा झलकती है और एक स्वर में यही बात निकलती है जैसे यहां सरोज दूबे जी बैठी नहीं है, उन्होंने आडवाणी जी के सामने कहा था "हैंग टिल डैथ।" लेकिन मैं वह हैंग टिल डैथ की मांग नहीं करती हूं। मैं ऐसा समझती हूं कि इस पर पुनः विचार करने की जरूरत है क्योंकि मृत्यु दंड और बलात्कारी के लिए दंड–इसके लिए दो अलग–अलग विधान होने चाहिए। यदि कानून में हम इसकी गुंजाइश कर सकते हैं तो उनके लिए सख्त से सख्त दंड दिये जाएं, यह मैं मांग करती हूं। धन्यवाद।

DR. L.M. SINGHVI (Rajasthan) : Sir, I believe that all brutality and cruelty is reprehensible. Brutality and cruelty against women and children is perhaps more reprenehsible of all. There is need to give a national attention to this problem. I support the idea that we should concentrate on addressing this issue in great depth because of the increased incidents of ghastly crimes against women and children, which we notice everday. One's breakfast curdles when one reads there incidents of violence, mindless violence. But, I am afraid, modern penology does not accept capital punishment as a real deterrent. If it could be a deterrent, I would be wholly in support of the proposal for capital punishment for those who are found guilty of these crimes. There is another aspect. And that aspect is that, once in a while, the justice system tells us that the verdict was not correct. And when that happens, one begins to wonder whether the penalty of death was the correct penalty to be awarded in such a case. Having

spent nearly 47 years at the Bar, I have a very strong feeling that law is not the only solution; although law must also provide a solution. The solution has to be found in the culture of respect for women. From educational circles to every other walk of life, there has to be an insistence on greater respect for women. There has to be an insistence on norms of behaviour. There has to be an insistence that any disrespect for women, not to speak of such ghastly violence, is something that diminishes us all as a society and as a culture. I think not much has been done. I think, today, we are in the midst of mindless violence. We live in a period when human beings have allowed themselves to be dehumanised. Therefore, in this context I would like to support the concept of the Bill which seeks to addess the problem, but not the remedy that is provided; in terms of capital punishment. Already, the United Nations' Universal Declaration of Human Right and the two covenants have time and again said that capital punishment can be awarded only in the rarest of rare cases and that it should be provided only when an absolute proof is found.

I hope that we can provide for a three-pronged approach to the problem. One is the social and cultural approach which is very important. The second is the educational approach. And the third is the penal approach, without which we cannot have a civilized society. I would like to congratulate Miss Khaparde for having raised an issue of great importance. On the other hand myself and many organisations involved in human rights have found that, perhaps, capital punishment is not really an operational deterrent. If it is not really an operational deterrent and if the system of justice is not absolutely foolproof, pershaps, we should think of a very high penalty, but not the penalty of death. Thank you very much.

DR. B.B. DUTTA (Nominated) : Sir, I am afraid that when we discuss some important things, we have a tendency to explain things beautifully. Just now, the hon. Member, Dr. L.N. Singhvi, has made some beautiful comments. But in conclusion, it comes to nothing. Because we have to insist that we have to respect women. We have to insist that the mothers and sisters should be respected. We have to insist that our culture should be maintained intact. We must be guided by our beautiful traditions. But, in actuality, it does not happen. Now, here in Parliament, we are face to face with the executive. Whatever we discuss here, we expect the executive to take note of it and act accordingly.

What has happened is this. Whatever material progress we have achieved during the 50 years of our independence, correspondingly, there has been a rise in the violence against women. Now, while in the material plane we are advancing, in the civilizational plane, we are making a retrograde journey. The basic question in this. Why should it happen? Now, those who are running the affairs of the country cannot sit for a moment without unease and say that we will find out; we will think; we will see that the social resistance and the cultural resistance develops. It may take a long time. Something has to be done; and done quickly.

3.00 P.M.

There comes the question of summary punishment. I find from the statistics that every year the crime rate is increasing. At present 40,000 raps cases are reported every year in our country. More than 11,000 to 12,000 abduction and kidnapping cases are reported in a year. It is happpening in the heart-land of India. You will find that U.P. tops the list in certain cases. These are the disturbing aspects of our all round modernisation, social change or progress, or whatever name we give to the development process. In Economics we say that one of the major characteristics of development of any country, developed or developing, is the status of women in that country. If women remain undeveloped, if women are not free, that country will never develop. That energy of the women, that strength and beauty of women, must come in full bloom. It must be realised so that the nation can progress. And here, out of superstitions, out of certain archaic beliefs, sometimes also giving a religous tinge to it, we find even things like prostitution are being justified by some tribes or communities. We have today even after 50 years of independence, *Devadasi Pratha* in one form or another continuing. It is highest in a State like Maharashtra. So, I would

like to point out that the Bill brought forward by the hon. Member, Miss Saroj Khaparde, is a very important one. We should wholeheartedly recommend the measures she has suggested in the Bill, because something must happen right here. Other things can take place later on. Otherwise, it will be very difficult to arrest this trend. This morning during the question Hour, we were discussing the question about the child prostitution. If any country claims it has the richest heritage in the world and is a progressive state, then it must see that this trend stops first. If girl children in an increasing number are being subjected to prostitution, how can we claim we are the inheritors of the rich civilization and that we are guiding other civilizations? What I say is that everything is now being commercialised; everything is being measured in monetary terms, everything is viewed with a profit motive. If we want to give the best to the Indian civilisation, then we must come out with certain other types of measures, and not view everything in monetary terms or with a profit motive. Here comes the question of culture and heritage. From this angle I say that atrocities on women either by the establishment, or by the masses or by the classes must come to an end and stringent measures suggested in the Bill be adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): Mr. C.P. Thirunavukkarasu... *(Interruptions)*...If the mike is not working, you can come to the front Bench.

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman, Sir, it is reported that the Home Minister, Shri L.K. Advani, on 28th October, 1998 said that the law would be amended soon to provide capital punishment for rape. He has also said that the Government held the view that they should invite most deterrent penalty. I came to know that the Union Cabinet has already approved it. According to the statement of the Home Minister, Shri Advanji, the views of the State Governments would be invited, and once these formalities are completed, the existing law with regard to the Indian Penal Code would be amended, the rapists would be punished and in certain categories, death penalty would be given. I welcome it. In the present situation this Act would be amended with the concurrence of the State Governments. I want to say one thing which I think will be found in the Bill itself. Recently, some nuns who were working in the remote corner of a village in Madhya Pradesh were raped by several persons. The rape had been committed in an organised way. It has been done with an urge. In those cases deterrent punishment should be given.

Today morning, we have discussed about the sale of girls in Andhra Pradesh.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): These incidents are known to the House. If you have any point about the deterrent punishment, please mention it.

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU: Okay, Sir. In that case some girls were sold away at a public auction. Later on they have been transported to Mumbai and other places. They have also been raped. In such cases the punishment should be deterrent.

Finally, I am able to see the sentiments of the hon. Member, Miss Saroj Khaparde, in the Bill. I would like to submit one or two points on clause 2. Clause 2 (b) (ii) says, "after killing a woman, disposing of her body by chopping her body into pieces or by burning her body in a tandoor or other places or by burning her body by sprinkling petrol, kerosene or such other inflammable objects or by any other means." If a death penality is to be awarded on account of these two counts, I am not in agreement with this clause. The reason is, a murder is committed for several reasons. Suppose, a girl commits an adultery, the husband murders her. You cannot take a serious view about that matter and say that he should be given a death penalty. At the same time, a gril may treat her husband with cruelty. So, you cannot take into consideration this sort of death as a serious crime and hand over death penalty to the husband. Those clauses are not found in the Bill, though they are found in the Indian Penal Code. For example, a murder committed on account of grave and sudden provocation, a murder committed on account of adultery, a murder committed on account of cruelty. These things are not found in the clauses of the Bill.

Thirdly, a woman means a female human being of any age. Once as far as some areas in Tamil Nadu are concerned, as soon as a female

child is born, out of poverty or out of other things, that child is killed. In such cases, death penalty is not warraned. This may be included in the clause. So, the clauses about which I had mentioned should be removed. Clause 2 (b) (i) says, "killing a woman by battering, strangulating or by any other means after committing rape on her", it is a barbarous and beastly cruelty. I welcome this clause.

With these words, I thank you very much for giving me an opportunity to speak on this Bill.

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश): माननीय उप-सभाध्यक्ष जी, कुमारी सरोज खापर्डे महोदया ने जो बिल पेश किया है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और इसकी भावना से अपने आप को जोड़ता हूं। हमारे यहां मूलत: इसके पीछे जो भावना रही है, वह तो इसमें स्पष्ट है किन्तु दो तीन बातें मुझे कहनी हैं । जैसे अभी मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, गत मास अक्तूबर में भारत के हमारे गृह मंत्री श्री आडवाणी जी ने और मध य प्रदेश के मुख्य मंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने झाबुआ वाले मामले को लेकर जिसमें बलात्कार प्रमुख तौर से सामने आया था, दोनों ने एक जैसी राय रखी थी कि बलात्कार के ऊपर कठोर से कठोर दंड यहां तक कि मृत्यु दंड का प्रावधान किया जाना चाहिये। बात वहां तक पहुंच गई। इतने बड़े पदों पर बैठे हुए लोग यदि इतनी चिंता के साथ बात करते है, हम आशावान हैं कि इस दिशा में कुछ सोचा जाएगा, कुछ बात होगी। वस्तुत: एक दो मुकाम बिल में ऐसे हैं जिन पर मैं एक दो मिनट ज्यादा ले लूं। इसमें एक वाक्य लिखा हुआ है "किसी स्त्री को जीवित जलाना जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाए" यह बिन्दु ऐसा है, ऐसी कंडिका है जिसमें भारतवर्ष की एक विचित्र सी प्रथा है जिसको हम सती प्रथा कहते हैं, वह भी इसमें आ सकती है। जब मैं आठवीं लोक सभा में था तो उस समय संसद् में एक बिल बना, कानून बना था। एक तरफतो हम सती को महिमा मंडित करें और दूसरी तरफ एक बिल बनाएं और इसको दंडित करने का प्रावधान करें, यह विचारणीय प्रश्न हमारे देश के सामने होने वाला है। दो में से किसी एक रास्ते को हमें चुनना पड़ेगा। भारतवर्ष के हजारों वर्ष के इतिहास में जिन सतियों को महिमा मंडित किया गया है वे दो सौ से ज्यादा नहीं हुई है। पूरे इतिहास को यदि हम देख लें जिनको जीवित जला दिया गया। लेकिन हम मूलत: बहुत ज्यादा क्रूर हैं, बातों के प्रति। उसमें पेड़ों के प्रति हम क्रूर है पशुओं के प्रति हम क्रूर हैं, नारी के प्रति हम क्रूर है, बच्चों के प्रति हम क्रूर हैं। हम भारत वालों पर यह उंगली उठाई जाती है और हमारे पास इसका कोई उत्तर भी नहीं है...(व्यवधान) यानी क्रूरता का एक लम्बा सिलसिला चल रहा है। इतने निर्दयी हम इन मामलों में होते हैं। मैं कोई यहां पर विवाद नहीं उठाना चाहता हूं। लेकिन भारतवर्ष ही वह देश है जिसमें राम जी को तो एक ही बार बनवास हुआ लेकिन सीता जी को दो बार बनवास हुआ। सीता को अग्नि में से निकलना पड़ा, गुजरना पड़ा उसके बाद भी उनको बनवास हुआ। हम इतने क्रूर हैं।

मुझे एक वाक्य बहुत याद आता है। कई बार रेडियो पर रिपीट होता है। कहीं लिखा था, चर्चा की थी हम लोगों ने। ईश्वर सबके साथ सशरीर रहना चाहता था किंतु वह रह नहीं पाया। ऐसा कर नहीं पाया। इसलिए उसने मां बना दी। केवल नारी ही वह शक्ति है जो हमारी मां है और भारतवर्ष में भगवान भी नारी के गर्भ से पैदा हो करके अवतार लेना पसंद करता है । ऐसे देश में यदि यहां पर हम बलात्कारों का मामला देखते हैं तो हमारा सिर शर्म से तो झुकता ही है। लेकिन इसमें एक चीज और हमको कहीं से डालनी पड़ेगी विचार करते समय। क्योंकि गृह मंत्री जी यहां पर सचेतन्य होकर नोट्स ले रहे हैं इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि कई मामले ऐसे हैं जहां पागल महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, वे गर्भवती हुई और उनके गर्भ से पैदा होने वाले बाल-बच्चों के बारे में कोई व्यवस्था कहीं पर भी नहीं हो पायी है। ऐसे कई एक उदाहरण है। मेरे अपने गांव का एक उदाहरण है। तो इस दिशा में हमको कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। जो ऐसे प्रकरणों के बाद बच्चे पैदा होते हैं उनकी जिंदगी तो बहुत ही दूभर हो जाती है और उस महिला की जिंदगी तो दूभर हो ही जाती है चाहे वह किसी भी खानदान की और किसी कुलीन परंपरा की हो, कहीं की भी हो।

इतने विद्वान लोगों ने यहां पर विचार रखे हैं। मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि भारतवर्ष की आज़ादी के बाद 50 वर्षों में हम केवल परंपरागत दुहाई न दें। हम भावनागत भी इस मामले को न लेकर बल्कि यथार्थ के स्तर पर लें और ले करके ऐसी कोई व्यवस्था करें कि जिससे इन सारे मामलों पर विचार हो सके और कठोर दण्ड का प्रावधान हम कर सकें।

इसमें जो आपने यह सरकुलेट किया है जो प्रसारित किया गया है, प्रचारित किया गया है उसमें लिखा है कि यदि यह विधेयक अधिनियमित किया जाता है तो इसके लिए भारत की संचित निधि में से अनुमानत: प्रति वर्ष आवर्ती व्यय के रूप में 10 करोड़ की धनराशि अंतर्ग्रस्त

होगी यह भी अनुमान है कि इसके लिए अनावर्ती व्यय के रूप में 2 करोड़ की धनराशि अंतर्ग्रस्त होगी। 12 करोड़ की धनराशि प्रति वर्ष यदि हम व्यय करके इस देश की गरिमा की दिशा में एक कदम भी आगे बढ़ा पाए तो मैं समझूंगा कि आपकी हमारी यह बहस सार्थक हो गयी।

मैं हमारी बहिन कुमारी सरोज खापर्डे जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने एक सही बिल हमारे सामने देश किया और इस देश को एक दिशा देने के मामले में विचार करने का मौका दिया। मुझे खूब याद है–समाप्त ही कर रहा हूं मैं, एक दो वाक्य ही आपके सामने और निवेदित करूंगा–कि पुरुष प्रधान सोसाइटी कितनी क्रूर हो गयी है। इसका एक छोटा सा प्रमाण है कि 20-25 वर्ष पहले एक फिल्म आयी थी। माननीय उप-सभाध्यक्ष महोदय, उस फिल्म का नाम संभवत: जहां तक मुझे याद है "जानी मेरा नाम" था। उसमें एक दृश्य डाला गया था। उस दृश्य का मतलब ही था–रेप सीन। बलात्कार का दृश्य था वह। उस फिल्म को हिट ही इसलिए माना गया कि उसमें वह दृश्य था। वह सिल्वर जुबिली ही नहीं बल्कि गोल्डन जुबिली तक गयी। लोग उस दृश्य को देखने के लिए जाते थे। आखिर हमारा सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? आखिर हम ऐसे दृश्यों के बारे में इतने कठोर क्यों नहीं क्या कारण है कि हमारे बच्चे छिपकर वहां देखने के लिए चले जाते है। इन सारी बातों पर गंभीरता से विचार करके हम कोई ठीक निर्णय यहां पर लें।

डा॰ सिंघवी जैसे व्यक्ति ने यहां पर अपने उद्गार व्यक्त किए। गृह मंत्री जी सामने विराजे हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि कोई फैसला होगा। चिंता एक ही है, डर एक ही है। सदनों में मैं यहां भी हूं वहां भी था विधान सभा में भी रहा हूं। ऐसे प्रकरणों के वक्त में अंतत: यही होता है कि सरकार की ओर से एक वक्तव्य आता है कि इस पर हम विचार कर रहे है और फिर बिल पेश करने वाले इसको वापस ले लेते है। सरकारें फिर कुछ नहीं कर पाती हैं और यह एक परंपरा जैसा हो गया है। तो मेरा आग्रह है कि इस बिल पर जब आपकी उपसभाध्यक्षता में हम विचार कर रहे हैं और गंभीरता से विचार कर रहे हैं तो फिर निर्णय, फैसला भी हो ताकि इस देश का सिर ऊंचा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री टी॰एन॰ चतुर्वेदी): धन्यवाद, बैरागी जी। श्रीमती वीणा वर्मा। वीणा जी, बिल्कुल संक्षेप में, दो मिनट में बोलिए।

कुमारी सरोज खापर्डे: महिलाओं के लिए तो थोड़ा आप उदार रहिएगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री टी॰एन॰ चतुर्वेदी): तभी तो उनका नाम न होते हुए भी वह उसमें शामिल हो रही हैं उन्होंने बोलने की इच्छा प्रकट की तो मैंने उन्हें बोलने के लिए कहा।

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे दो मिनट का समय दिया। मैं माननीय मिस सरोज खापर्डे जी का, जो बिल उन्होंने यहां प्रस्तुत किया है, किसी भी स्त्री पर यदि कोई पाश्विक कांड हुआ है और उस पर बलात्कार होता है, तंदूर कांड जैसी घटनाएं होती है या उस पर पाश्विक से पाश्विक घटना घटती है तो उसके लिए मृत्यु दंड, मैं समझती हूं कि मैं इसका समर्थन करती हूं और पुरजोर समर्थन करती हूं। मैं बहुत भूमिका न बांध कर यह कहूंगी कि बलात्कार जिस पर हुआ है और खास तौर से तंदूर कांड जैसी घटनाएं की जाती है स्त्री पर बलात्कार तो होता ही है लेकिन उसकी हत्या कर उसकी जिन्दगी भी खत्म कर दी जाती है तो यह दोहरी हत्या के समान है, क्योंकि बलात्कार के बाद वैसे भी अगर वह स्त्री जिन्दा रहती है तो उसका जीवन मृत्यु के बराबर है। इसलिए इस पर भी यदि दंड नहीं मिला तो यह दोहरी पाश्विकता हो गई। एक तो स्त्री को क्षण-क्षण मरने के लिए छोड़ दिया, जिस पर बलात्कार होता है उसकी जिन्दगी को तो कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि इंसान अगर औरत हो तभी तो समझे कि औरत क्या होती है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करती हूं।

दूसरी चीज़ यह जो इसमें एक प्रावधान है कि एबॉर्शन, गर्भपात या मृत्यु हो जाए, एबार्शन को ही हमने आज तक उसको लीगल बना दिया है, बहुत से फीमेल्ज के जैसे एबॉर्शन ज्यादा हो रहे हैं और डी॰एन॰ए॰ टैस्ट के द्वारा भी बहुत ज्यादा उसको प्रोवोक किया जाता है, स्त्री को मजबूर किया जाता है, वह भी गर्भ के अंदर एक जीवन की हत्या है और बालिका हत्या तो उससे भी ज्यादा पाश्विक है। उसके लिए भी हमने उसको लीगल बना दिया है। एक तरफ अगर वह स्वैच्छिक एबॉर्शन है तो वह लीगल है, लेकिन इसके लिए अगर उत्साहित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, जबर्दस्ती की जाती है तो यदि उसको हम हत्या नहीं मानते तो यह भी मैं समझती हूं कि इसको दंडनीय अपराध समझा जाना चाहिए। इसके बारे में मेरा एक विधेयक भी है। दूसरी चीज़ अब तक कुछ इस तरह का मेरे मन में विचार होता है कि सदा ही समाज पुरूष सत्तात्मक रहा है और उसे मृत्युदंड न देने के लिए अगर यदि हम यह कहें कि हमें और बहुत ज्यादा समाज को शिक्षित करना चाहिए और बहुत सी वैलफेयर योजनाएं बनानी चाहिएं, तो यह भी सही नहीं होगा। क्योंकि यह तो

वैसे ही हुआ कि जैसे स्त्री से कहा जाए कि कोड़े तो तुम्हें पड़ते ही रहेंगे, अत्याचार तो तुम पर होता ही रहेगा, लेकिन तुम अपनी पीठ बचाओ। बचना तुमको ही है, कोड़े मारने वाले का हाथ हम नहीं रोकेंगे, अपराधी का हाथ हम नहीं रोकेंगे, हत्याएं हम नहीं रोकेंगे, पाश्विकता, स्त्री पर पशुता, बर्बरता और क्रूरता जो होती है, हत्याएं जो होती हैं, उसको हम नहीं रोकेंगे। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगर कोई चीज़ और अगर कोई निशान पड़ गया किसी क्रूरता का स्त्री की पीठ पर तो सरकार या समाज कहता है कि यह वैलफेयर योजना है। एक और योजना तो बहुत जरूरी है कि अपराधी का हाथ पकड़ा जाएं और उसका कोड़ा, उसका जो हंटर स्त्री की पीठ पर पड़ता है, उसको तोड़ने की आवश्यकता है। तो इसका मैं पुरजोर समर्थन करती हूं और कहना चाहती हूं कि बार-बार हमको सरकारी योजनाओं की मलहम-पट्टियां मत दीजिए। मैं मिस खापर्डे जी का धन्यवाद करती हूं कि वह इस तरह का बिल लाई और स्त्रियों पर होने वाले पाश्विक अत्याचार, क्रूरता, घृणित अपराध, उस पर तेजाब डाल दिया और सारी जिन्दगी के लिए उसको मरने के लिए छोड़ दिया, इनके निवारण के लिए यह बहुत आवश्यक विधेयक है। तेजाब किसी स्त्री के चेहरे पर पड़े या बदन पर या फिर उस पर बलात्कार हो, बलात्कार भी मृत्यु से कम नहीं है, इससे तो मृत्यु बेहतर है और इसी कारण स्त्रियों को सदियों से जलाया जाता रहा और सती कांड होते रहे तथा हम महिमा मंडित करते रहे। .....(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री टी. एन. चतुर्वेदी): वीणा जी, अब आप समाप्त करिए।

श्रीमती वीणा वर्मा: महोदय, अंत में मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और पुरजोर समर्थन करती हूं और साथ ही यह कहूंगी कि बलात्कार के केसेज में अवश्य ही मृत्युदंड का प्रावधान होना चाहिए साथ ही डी.एन.ए. टैस्ट भी आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि अभी तक इसको हमने कंप्लसरी नहीं बनाया है। अंत: मैं इसका समर्थन करते हुए मिस सरोज खापर्डे को धन्यवाद देती हूं।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): मान्यवर उपसभाध्यक्ष जी, बहन सरोज खापर्डे जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत कर के एक महत्वपूर्ण विषय पर पिछले सत्र में चर्चा आरंभ की जो चर्चा आज समाप्त हो रही है।

मान्यवर, पहले जब मैं ने पूरा विधेयक नहीं देखा था तो कल्पना थी कि यह विधेयक बलात्कार के बारे में है, लेकिन जब फिर से देखा तो पाया कि यह बलात्कार के बारे में नहीं, यह प्रमुख रूप से क्रूरता के बारे में है जिसे में आज भी प्राय: जितने अपराध गिनाए गए हैं, उन अपराधों के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था है। यह आज के कानून में भी है। अंतर यह है कि इस कानून के द्वारा हम एक प्रकार से अदालत को बाध्य कर रहे हैं कि अगर इस प्रकार की घटना हो, इस प्रकार का बलात्कार हो और उस के बाद मृत्यु हो तो फिर मृत्युदंड अनिवार्य होगा, मैंडेटरी होगा। आज अगर किसी को मारा जाय कैसे भी मारा जाए, बैटरिंग कर के मारा जाए या गला घोंटकर मारा जाए, अगर किसी महिला को मारा जाए तो उस के मृत्युदंड की व्यवस्था आई.पी.सी. में है, लेकिन वह मैक्सीमम पनिशमैंट के नाते है और आज तक अदालतों की जो प्रथा है, उस में एक कंसीडरेशन यह भी रहा है जिस का कि जिक्र मेरे विद्वान मित्र डा॰ सिंघवी जी ने किया कि विश्वभर में यह कल्पना बढ़ती जा रही है कि मृत्युदंड कोई ऑपरेशनल डेटेरैंट नहीं है। इस में दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। वकीलों में भी और न्यायाधीशों में भी इस बारे में बहुत लंबी-चौड़ी बहस चलती रहती है। हमारे पूर्व मुख्य-न्यायाधीश यहां बैठे हुए हैं, उन को जानकारी है। आज तक हिंदुस्तान में कम-से-कम हम ने माना है कि मृत्युदंड का उपयोग है। मृत्युदंड कई मामलों में डेटेरेंट प्रूव होता है। इसीलिए मृत्युदंड की व्यवस्था को हम ने खत्म नहीं किया है। इसी कारण पिछले सत्र में जब लोक सभा में महिलाओं पर अत्याचार की चर्चा हुई तब मैं ने अपनी सरकार की यह राय सदन के सामने रखी थी कि हम मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को मार दे, उस की हत्या कर दे तो उस के ऊपर जो मुकदमा चलेगा, उस में अदालत उसे मृत्युदंड दे सकती है, लेकिन आज अगर किसी महिला को मारे नहीं, महिला का बलात्कार करे और जैसे कि वीणा जी ने कहा उस महिला को एक जीवित लाश का रूप दे दे तो उस को 10 साल की सजा होगी, उस को 7 साल की सजा होगी। 10 साल की तब होगी जब कस्टोडियल रेप आता है अन्यथा 7 साल की सजा होगी।

उपसभाध्यक्ष जी, इस मामले में हमारी सरकार की राय है कि डेटेरैंट पनिशमैंट की व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए अगर किसी भी महिला के साथ बलात्कार होता है - वह सामूहिक बलात्कार हो या व्यक्तिगत बलात्कार हो और उस बलात्कार के बाद उस की हत्या की जाए, न की जाए, हमारा तो मत है कि बलात्कार का हम, यह समाज और यह सरकार एक बहुत घिनौना अपराध मानती है, मृत्युदंड से भी बढ़कर मानती है, इसीलिए उस की सजा मृत्युदंड होनी चाहिए, यह राय हम ने प्रकट की है। उस समय मैं ने यह भी कहा था कि संविधान के अनुसार क्रिमिनल लॉ कंकरैंट सब्जैक्ट है, यूनियन सब्जैक्ट नहीं है और इसीलिए मेरा दायित्व होगा कि इस विषय में मैं राज्य

सरकारों से सलाह-मशविरा कर के फिर सदन के पास आऊं। और तब भी मैंने कहा था कि मेरे मन में यह है कि मैं एक तो राज्य सरकारों से सलाह करूं, उनको पत्र लिखकर के उनसे राय मांगू फिर मौका हो तो होम मिनिस्टर्स की एक कांफ्रेन्स बुलाकर के उनमें चर्चा करूं, फिर डायरेक्टर जनरल्स आफपुलिस की जो कांफ्रेन्स होती है। उसमें उनसे सलाह करूं और यह जो अंतराल बीता है, जब पिछली बार सरोज जी ने यह विधेयक प्रस्तुत किया था और आज जब हम फिर से इस पर विचार कर रहे हैं, मैं सदन को यह बताने की स्थिति में हूं कि यह प्रायः सभी काम यह सरकार कर चुकी है। सब राज्यों को पत्र लिखे, जिसमें न केवल रेप की बात की बल्कि और भी जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं उनके संदर्भ में केन्द्रीय सरकार को जो सलाह है कि क्या-क्या एप्रोच होनी चाहिए, किस-किस प्रकार से वीमेन सेल सब जगह बनने चाहिएं, किस-किस प्रकार से यह महिलाओं के थाने बन सकें, जिसमें महिला अधिकारी हो, महिला पुलिस हो, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए और फिर अगर कोई बलात्कार से पीड़ित महिला है और उससे कोई गवाही लेनी है तो किस प्रकार से लेनी चाहिए, 18 वर्ष से कम आयु की लड़की है तो फिर पेरेण्टस की उपस्थिति में बातचीत करनी चाहिए, इत्यादि, इत्यादि। जितने निर्देश पत्र के द्वारा इस संदर्भ में दिए जा सकते थे, वह हमने राज्य सरकारों को दिए हैं, उसके साथ-साथ उनसे यह भी पूछा कि हम आपसे सलाह चाहते हैं कि हम इंडियन पीनल कोड को अमेंड करके रेप के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था करें या न करें। इस बारे में कुछ राज्य सरकारों ने उत्तर दिए हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी पिछले सप्ताह ही प्रधान मंत्री जी ने महंगाई के संदर्भ में मुख्यमंत्रियों को केन्द्र में बुलाने का जब निश्चय किया, तब मैंने उन्हें सुझाया कि उपयुक्त होगा कि मैंने संसद को जो वचन दिया था कि मैं राज्य सरकारों से सलाह करूंगा तो हम अपने इस एजेंडा में, चीफ-मिनिस्टर्स कांफ्रेन्स के एजेण्डा में महंगाई के इस्यू के साथ-साथ, बलात्कार पर मृत्युदंड की व्यवस्था हो, उसे भी रखकर इस पर भी मुख्यमंत्रियों से सलाह लें। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने मुक्त कंठ से कहा कि मृत्युदंड होना चाहिए, कुछ ने कहा कि हम अपने मंत्रिमंडल से सलाह करना चाहेंगे, लेकिन एक भी ऐसा मुख्य मंत्री नहीं था, जिसको लगा कि इसका विरोध किया जाना चाहिए कि यह उपयुक्त नहीं होगा। न कहने वाला कोई नहीं था, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने तो उसी समय कहा कि हम पूरी तरह से आपके साथ सहमत हैं, कुछ ने यह कहा कि हम मंत्रिमंडल से अपनी सलाह करके आपको सूचित करेंगे। मैं मानता हूं कि मोटे तौर पर राज्यों में एक कॉन्सेन्सस बना हुआ है, विभिन्न पार्टियों का तो कॉन्सेन्सस है ही, जो राज्य सभा में भी और लोक सभा में भी व्यक्त हुआ है कि हमको महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सही कहा है चन्द्रकला जी ने, कि हम बड़े गर्व के साथ अपनी संस्कृति की बात करते हैं, अपनी परंपरा की बात करते हैं, हमारे यहां महिला का एक श्रेष्ठ स्थान है उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन जब यह खबर कहीं छपती है कि फलां गांव में और 90 साल की महिला के साथ बलात्कार हुआ, फलां स्थान पर तीन साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, फलां स्थान पर पूरे गांव ने बैठकर के पंचायत की ओर से निर्णय किया कि इस महिला ने किसी दूसरी जाति में शादी की है या किसी दूसरी जाति के किसी लड़के के साथ गई है इसलिए इसके साथ सार्वजनिक रूप से बलात्कार होना चाहिए, यह पढ़कर के आदमी सिहर उठता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यह भारत वर्ष है, जिस भारतवर्ष के बारे में हम इतने गर्व के साथ बोलते हैं कि यहां पर तो महिला का ऐसा सम्मान होता है कि हम कहते हैं कि जहां महिला का आदर नहीं होता वहां देवता नहीं बसते या देवता वहीं विराजते हैं जहां नारी का सम्मान होता है। यहां पर यह जो विकृति आई है, मैं इसको समाज की डिकेडंट अवस्था का स्वरूप मानता हूं, उसकी एक विकृत भूमिका का उदाहरण मानता हूं। इसीलिए मैं समझता हूं कि यह जो सरोज जी विधेयक लाई हैं, उसके द्वारा जो चर्चा हुई है, उस चर्चा में फिर से एक बार इस बात को प्रस्तुत किया है कि हम इस बारे में एकमत हैं कि कठोर से कठोर दंड होना चाहिए। मेरी अपनी राय अभी भी है कि मृत्युदंड की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वह मृत्युदंड उसी प्रकार से होना चाहिए, जैसे हत्या के लिए है कि जिसमें कोर्ट को यह पूरा अधिकार होगा कि मृत्युदंड तक दे सके, लेकिन सारी परिस्थितियों को देखकर के उसको लगे कि इस केस में चाहे बलात्कार हुआ है तो भी इन इन बातों के कारण हुआ है इसलिए मृत्युदंड न देकर के मैं आजीवन कारावास देता हूं। तो वह गुंजाइश होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार कानून की आवश्यकताएं अधिक अच्छी तरह से पूरी होगी और इस पर विचार हो रहा है। साथ-साथ सरकार के मन में यह भी है कि जिस समय हम मृत्युदंड का यहां प्रावधान लाएंगे बलात्कार के संदर्भ में तो बलात्कार के कानून में बाकी जो कुछ कमियां है जैसे उदाहरण के तौर पर आज की जो व्यवस्था है, उसमें कहा गया है कि महिला का चरित्र कैसा है, पूर्व इतिहास कैसा है, यह रेलेवेंट होगा। यह पुरूष के बारे में नहीं पूछा जाता है। यह एक बड़ी विचित्र स्थिति है। मैं मानता हूं कि बलात्कार

अगर हुआ है तो महिला का चरित्र और महिला का पूर्व इतिहास, यह सर्वथा इररेलेवेंट है, इसमें रेलेवेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए जिस समय हम इस कानून में मृत्युदंड की व्यवस्था का प्रावधान करेंगे तो ऐसे जो दोष हमें दिखाई देते हैं, जो एक प्रकार से महिलाओं के खिलाफ जाते हैं, उनको दूर करने की कोशिश सरकार करेगी।

महोदय, इसके साथ-साथ राज्यों को भी कहा गया है कि इस बात की चिंता करिए। वैसे तो ये दोष ऐसे हैं जिनको हम कानून द्वारा ठीक नहीं कर सकते हैं। हमारे मित्र डा. सिंघवी जानते हैं कि देश में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कानून का राज स्थापित करने में और वह यह कि हमारे यहां प्रोलौंग्ड लिटिगेशन चलता है और सालों-साल चलता रहता है। सालों-साल अगर किसी मकान-मालिक और किराएदार का झगड़ा चलता है तो ठीक है लेकिन किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ और वह मामला लंबा चलता रहे तो बलात्कार होना तो एक अन्याय था और उस मामले की सुनवाई का लंबा खिंचना भारी अन्याय है। इसलिए ऐसे जो केसेज हैं, किस प्रकार से उनका समरी डिस्पोज़ल हो सके, इसकी भी कुछ न कुछ व्यवस्था करनी होगी। ये सारी चीजें ध्यान में रखकर यह सरकार महिलाओं के साथ बढ़ते हुए अत्याचारों के बारे में पूरी गंभीरता से विचार करके आवश्यक संशोधन कानून में लाएगी। इसलिए मैं सरोज खापर्डे जी, जिन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है, उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक को वापस लें क्योंकि इस चर्चा के माध्यम से सभी लोगों की एकमत राय प्रकट हुई है और उस राय का आदर करते हुए, उनकी भावनाओं का आदर करते हुए सरकार इस दिशा में आगे कदम उठाएगी। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री टी.एन. चतुर्वेदी): सरोज जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी?

कुमारी सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र): जरूर बोलना चाहूंगी। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहती हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है और अपने विचारों को व्यक्त किया है। इस विधेयक को प्रस्तुत करने के पीछे मेरा जो उद्देश्य था वह यह था कि महिलाओं से संबंधित जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, उनकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना और ऐसे अपराधों से निपटने के लिए एक विशेष कानून का होना जिसके तहत अपराधी कानून या कानूनी दांवपेंचों का फायदा न ले सकें और उन्हें उनके अपराधों का दंड निश्चित तौर पर मिले। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस विधेयक में विशेष न्यायालयों की स्थापना के बारे में उल्लेख किया है। महोदय, एक दूसरी बात जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं, वह यह है कि आजकल महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के तरीकों में काफी परिवर्तन देखा गया है। इन अपराधों में हम लोग काफी परिवर्तन देखते आ रहे हैं और देख रहे हैं। यह अपराध इतने गंभीर किस्म के पाए गए, इतने जघन्य स्वरूप के हमने पाए हैं कि समाज का साधारण सा व्यक्ति भी इस बात पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि कहीं न कहीं हमारी कानून व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। हमारे इंडियन पैनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बेशक बलात्कार या कत्ल जैसे अपराधों के बारे में दंड का प्रावधान किया हो, परन्तु मेरे विचार से जो सजा इन कानूनों में निहित है वह ऐसे अपराधों को रोकने में या कम से कम करने में मुझे सक्षम नजर नहीं आती है। मेरे विचारों में महिलाओं के विरूद्ध बर्बरतापूर्ण और पाशविक क्रूरता जैसे अपराधों के लिए ऐसे दंडों का प्रावधान होना चाहिए कि समाज का कोई भी पुरूष ऐसे अपराध की हिम्मत दोबारा न कर सके। मेरे विधेयक में यह प्रस्ताव है कि ऐसे अपराधों में केवल मृत्यु दंड ही दिया जाए और अभी सदन में आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपने बयान में इस चीज को दोहराया है। मैंने जो कुछ दिन पहले आपके विचार प्रेस के द्वारा सुने थे लेकिन आज तो सदन में ही साक्षात्कार आपके विचार सुनने के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि आप वाकई महिलाओं के बारे में कुछ निश्चित कदम उठाना चाहते हैं। परन्तु, मान्यवर, प्रश्न यह है कि दंड कितने अपराधियों को मिलता है? जो वर्तमान हालत है या जो हमारी वर्तमान व्यवस्था है उसमें अपराधी किसी न किसी तकनीकी कारणों के बहाने कोर्ट में छूट ही जाता है और इसीलिए मेरा अपना कहना है कि इस विषय पर हमारा कानून इतना तगड़ा होना चाहिए इतना सक्षम होना चाहिए कि अपराधियों को बिना विलम्ब सजा मिले और वह कानून के दांवपेंच का किसी भी तरीके से नाजायज फायदा न ले पाए और इसी के लिए सरकार समरी-ट्रायल का प्रावधान भी रख सकती है। उसका आपने यहां पर उल्लेख भी किया है और इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने के बाद भी देश में, अनेक राज्यों में कई जगहों पर समाज में ऐसी अनेक घटनाएँ घटी हैं जिससे हम सबका सिर शर्म से झुक जाता है। आज ही आपने एक अखबार में पढ़ा होगा आंध्र प्रदेश के खूबसूरत शहर के बारे में, हम तो अभी तक पढ़ते ही थे, जब कॉलेज में पढ़ते थे या उसके बाद कॉलेज से जब निकले तो पढ़ते ही थे कि बिहार में दूल्हे बिकते हैं। यह कभी नहीं सुना था कि महिलाओं का भी पशुओं जैसा ऑक्शन होता है, वह आज अखबार के माध्यम से पता चला। मुझे याद है कि कुछ समय पहले एक कॉलेज

विद्यार्थी ने एक महिला के साथ बलात्कार किया। उस महिला ने जब शिकायत की और जब वह मामला अदालत में गया तो उसी व्यक्ति ने उस महिला से दोबारा बलात्कार किया। परन्तु बलात्कार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आज तक कुछ नहीं हुआ। कितनी कमजोर है हमारी कानून व्यवस्था। महिलाओं को दहेज या अन्य कारणों से जलाए जाने के कारण उनकी जान गई। पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ सुनने में आया कि किसी न किसी रूप में महिलाओं की जानें जाती हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम आखिर किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, हम आखिर कहां जा रहे हैं। महोदय, एक तरफ तो हम महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा देने की बात करते हैं या दर्जा देने का प्रचार करते हैं और दूसरी तरफ हमारे समाज में पुरुष लोग महिलाओं को जिंदा जला रहे हैं। महोदय, प्राचीन काल से हमारे शास्त्रों और संस्कृति में महिलाओं को एक विशेष स्थान दिया गया है और कहा गया है कि–"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता"। आज कहां है वह नारी की पूजा और कहां गया है देवताओं का वास? हमारे समाज ने नारी की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है, नारी की प्रतिष्ठा पर इतना प्रहार किया है कि वह अपने आपको काफी असुरक्षित समझती है और ऐसी व्यवस्था में हम उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं और क्या अपेक्षा हमें करनी चाहिए? यह तो बात रही महिलाओं के साथ होने वाले जघन्य अपराधों पर रोक लगाने की और उनमें कमी लाने की।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहती हूं कि जहां पर सरकार ने महिलाओं को देश चलाने में भागीदारी देने हेतु कानून बनाया है, वहां व्यावहारिक रूप में कुछ और ही हो रहा है। मेरा इशारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के आरक्षण तथा प्रतिनिधित्व की ओर है। देश के एक हिस्से में कुछ महिला पंचायत सदस्यों को सड़कों पर नग्न घुमाया गया और ऐसा करने वालों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह तो उन महिलाओं का हश्र है जो कानूनी तौर से किसी ओहदे पर हैं लेकिन यह सोचने की बात है कि उन लाखों-करोड़ों महिलाओं का क्या हश्र होता होगा जो कि आम घरेलू जिंदगी बसर करती हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अपना वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व मैं महिलाओं के आरक्षण की ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। हम सभी लोग महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने की बात करते हैं और सदन में भी हम ये बातें कई बार सुनते हैं लेकिन संसद में जब बराबरी का अधिकार देने की बात आती है तो हममें मतभेद हो जाता है और महिलाओं के लिए जो आरक्षण संबंधी बिल पेश किया गया था, हम में उसको भी पास कराने की कुव्वत नहीं रही। मेरा अपना मानना यह है कि महिलाएं निश्चय ही पुरुषों से अधिक सक्षम हैं और संसद में उनके लिए आरक्षण करना, उनके अधिकारों को स्वीकार करने की ओर एक कदम है, न कि उनके उत्थान की ओर। महोदय, हमारे समाज और देश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम सब कुछ जानते हैं लेकिन हम कोई निश्चित कदम महिलाओं के प्रश्नों को हल करने के लिए नहीं उठा रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को देखते हुए सरकार को एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना चाहिए जिसके तहत कानून, न्यायालय, सामाजिक चेतना और पुनर्वास संबंधी विषयों पर सरकार वर्तमान कानून में संशोधन करे ताकि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कमी आए और इन अपराधों की शिकार महिलाएं अपना जीवन समाज में सम्मान के साथ जी सकें।

मान्यवर, आज इस अवसर पर मुझे कवि जयशंकर प्रसाद जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं जिनमें नारी का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है–

"नारी तुम केवल श्रद्धा हो,

विश्वास रजत पग नभ तल में।

पीयूष स्रोत सी बहा करो,

जीवन के सुन्दर समतल में।"

नारी की इस सुंदर कल्पना को साकार करने के लिए हम सभी को बहुत प्रयत्न करने होंगे और अंतिम शब्दों के पहले मुझे यहां कहना है–क्योंकि मुझे इतनी तो तहजीब है कि हमारे सदन में आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपने बयान के माध्यम से जो सरकार के विचार रखे, जो उन्होंने अपने विचार रखे, उन विचारों का मैं स्वागत करती हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मंहगाई की चर्चा करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में राज्यों के सभी मुख्य मंत्रियों को जब निमन्त्रित किया, उसी दरमियान महंगाई के साथ साथ-उसके पहले आपने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा, उनकी राय मांगी। उनका कहना भी आपने सुना और यहां प्रमुखता से आपने जो उनसे पूछताछ की तो करीब-करीब देश के सारे मुख्य मंत्रियों ने इस बात का आपको पुरजोर समर्थन दिया कि इस प्रकार के बलात्कार के कांड में मृत्युदंड ही एक ऐसा उपाय है। मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई और विशेषकर आपके जो विचार महिलाओं के बारे में हैं–आपने अपने व्यक्तिगत विचार

गृह मंत्री के रूप में इस सरकार के माध्यम से जो सदन के सामने रखे हैं, उन विचारों की मैं कद्र करती हूं और आपका स्वागत करती हूं। आपने इस बारे में, इस बिल के बारे में, विशेषकर महिलाओं के साथ बलात्कार के बारे में मृत्युदंड के बारे में अपने जो विचार रखे, उसके तहत आपने जो आश्वासन दिया, उस आश्वासन को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो अपना बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया, उस बिल को मैं वापिस ले रही हूं।

The Bill was, by leave, withdrawn

THE HINDU MARRIAGE (AMENDMENT) BILL, 1996

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Hindu Marriage Act, 1955 be taken into consideration."

[THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE) in the Chair]

Madam, prior to 1949, a man could have any number of wives and he could beget any number of children. All the wives were recognised under the then law, all the children were recognised under the then law and they were entitled to all the rights of inheritance. For the first time in 1949, the Bigamy Prevention Act was enacted, putting a restriction that a man could not marry more than once. If he married for the second time, then the second wife was not recognised as a legally-wedded wife and the children begotten through the second wife were illegitimate children not entitled to the property rights of that man. Then, in the year 1955, The Hindu Code, which was uncodified till then, came to be codified and the Hindu Marriage Act of 1959 was enacted. It is only from then that certain conditions were imposed—for valid marriage, and how the marriage should be celebrated, the restitution of conjugal rights in case of separation, judicial separation and finally divorce. And in case wife seeks maintenance, then, she can go to court. So, these are the provisions under the Act. Under section 5 of the Hindu Marriage Act, there are certain conditions under which a marriage can be held valid. Even under that, there are certain disabilities and my friend, Dr. Y. Lakshmi Prasad has given a separate notice for amendment to that. That amendment seeks to delete the clause of epilepsy being a ground for invalidating a marriage. So, many amendments have been suggsted in that Act. Section 7 of the Hindu Marriage Act Contemplate the ceremonies to be followed to set the marrage valid. Section 7 regarding ceremonies for the Hindu marriage states, "A Hindu marrige may be solemnised in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto." Then, section 7(2) says, "Where such rites and ceremonies include *saptapadi*, i.e., taking of seven steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire, the marriage becomes complete and binding when the *saptapadi* step is taken." So, unless saptapadi is proved, that marriage is not complete.

E.V. Ramaswamy Periyar started a renaissance movement in Tamil Nadu. He said that for a marrige we should not depend upon a *purohit* who chants Sanskrit mantras which are not understood either by the bridegroom or the bride or any relative who attends the marriage. They don't understand the meaning of Sanskrit mantras. So, he started a separate movement whereby he brought a fresh concept of solemnising a marrige. If a man and woman are willing to marry each other, then that itself can be considered a velid marriage. This was going on. Almost in all parts of Tamil Nadu, such marriage ceremonies were being conducted. But, such marriages were challenged in a court of law. When it went to the court of law, all such marriage were struck down stating that those marriages were not valid. Being a lawyer, I conducted a maintenance case. A Minister presided over a marriage. The marriage was celebrated. There was tying of *Thali* also. But, the only thing was, *saptapadi* was not gone through. So, the marriage was held as not a valid marriage. In the result what was the fate of that lady who was living with that man and begot children? When that man wants to have another lady, he simply says that there was no marriage. What is the fact of that lady? What is the fate of those children? That lady doesn't get any maintenance, and she has no protection at all. The children through that lady are treated as